132

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक 1375-दो/2010 निगरानी - विरूद्ध आदेश दिनांक 8-9-2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना - प्रकरण क्रमांक 49/2009-10 अपील

लरिचरण पुत्र रामचंद जाति माली
ग्राम गुरूनावदा तहसील श्योपुर
जिला श्योपुर मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1- महिला गीता वाई उर्फ वरफीवाई पत्नि रामचरण
2- कपिल पुत्र स्व. रामचरण
3- बिनोद पुत्र रामचरण
4- सुश्री विद्यवाई पुत्री स्व.रामचरण
सभी ग्राम गुरूनावदा तहसील श्योपुर ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री श्रीकृष्ण शर्मा)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री मुकेश वेलापुरकर)

आ दे श

(आज दिनांक 11 - 8-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना के प्रकरण क्रमांक 49/2009-10 अपील में पारित आदेश दिनांक 8-9-2010 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रामशॅकर पुत्र बजरंगा बैश्य के नाम भूमि सर्वे क्रमांक 250/15 रकबा 5 वीघा थी जिनकी मृत्यु होने पर आवेदक ने नायव तहसीलदार वृत्त मानपुर के समक्ष बसीयत के आधार पर नामान्तरण की मांग

की, जिस पर से नायव तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 23 अ—6/06—07 पॅजीबद्व किया तथा सुनवाई कर आदेश दिनांक 9—9—08 पारित करके आवेदक का नामान्तरण स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर के समक्ष अनावेदकगण के पति/पिता रामचरण ने अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने प्रकरण कमांक 137/07—08 अपील में पारित आदेश दिनांक 17—10—08 से नायव तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया।

प्रकरण प्रत्यावर्तित होने के वाद तहसील में कमांक 5/2008—09 अ—6 पर दर्ज किया जाकर हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई की गई तथा आदेश दिनांक 28—5—09 पारित करके मृतक खातेदार के बजाय उसके कुटुम्बियों का नामान्तरण स्वीकार किया गया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी, श्योपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर ने प्रकरण कमांक 71/2008—09 अपील में पारित आदेश दिनांक 16—12—09 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 28—5—09 निरस्त कर दिया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 49/2009—10 अपील में पारित आदेश दिनांक 9—9—2010 से अपील स्वीकार की एंव अनुविभागीय अधिकारी श्योपुर का आदेश दिनांक 16—12—09 निरस्त करते हुये नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 28—5—09 स्थिर रखा। इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों को पूर्व पेशी पर सुनना चाहा, किन्तु उनके व्दारा सहमति की गई कि वाद विचारित भूमियों पर माननीय सिविल न्यायालय एंव उनके अपीलीय न्यायालय से स्वत्व का मामला निराकृत हो चुका है इसलिये प्रकरण को मेरिट पर निर्णीत कर दिया जाय।

4/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के अवलोकन से तथा उभय पक्ष के बीच माननीय द्वित्तीय अपर जिला न्यायाधीश

श्योपुर के दीवानी अपील कमांक 17–ए/2015 में पारित निर्णय दिनांक 30–1–2016 की प्रमाणित प्रतिलिपि की छायाप्रति के अवलोकन से परिलक्षित है कि हरिचरण पुत्र रामचन्द्र माली ने महिला गीतावाई, रामचरण पुत्र बजरंगलाल, कपिल कुमार एंव म0प्र0शासन पर मान0 व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 श्योपुर के न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 98–ए/2011 दायर किया था जो आदेश दिनांक 4–7–2013 से वाद प्रमाणित न पाये जाने से निरस्त हुआ है जिसके विरूद्व माननीय द्वित्तीय अपर जिला न्यायाधीश श्योपुर के न्यायालय दीवानी अपील कमांक 17–ए/2015 दायर की गई , जिसमें दिनांक 30–1–2016 निर्णय हुआ है एंव व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 श्योपुर के आदेश दिनांक 4–7–2013 को स्थिर रखा गया है। व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बन्धनकारी है। पक्षकार माननीय व्यवहार न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि तहसील न्यायालय में प्रस्तुत कर तद्नुसार कार्यवाही कराने हेतु स्वतंत्र है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी में हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 49/2009–10 अपील में पारित आदेश दिनांक 8–9–2010 यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल,
म0प्र0ग्वालियर